TEN RUPEES / TWO RUPEES / TWO RUPEES / ONE RUPEE — COURT FEE

150

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,

पुनरीक्षण क्रमांक /2008 R. 1457-II/08

R. 1457-II/08

जगदीश प्रसाद चौरहा पुत्र श्री स्व. श्री बैजनाथ चौरहा, निवासी–टिकुरिया मौहल्ला पन्ना (म.प्र.)

— आवेदक

बनाम

श्रीमती गयादेवी मिश्रा पत्नी स्व. श्री रामप्रसाद मिश्रा, निवासी–कबाड़ी टोला, सतना, तहसील व जिला सतना (म.प्र.)

—अनावेदक

नगर पालिका परिषद पन्ना द्वारा भवन नामातंरण प्रकरण क्रमांक 57 नामातंरण वर्ष 1998–99, में पारित आदेश दिनांक 28/06/2008 के विरूद्ध मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 331 के अधीन पुनरीक्षण ।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है :–

प्रकरण के तथ्य :–

1– यह कि, आवेदक एवं अनावेदिका की कथित मां मुस. महारानी विधवा किशोर प्रसाद चौरहा के संयुक्त, स्वत्व एवं आधिपत्य का पुश्तैनी रिहायशी भवन टिकुरिया मौहल्ला, वार्ड क्रमांक–1, पन्ना में स्थित है। जिसका भवन क्रमांक–35 के रूप में नगर पालिका परिषद पन्ना में गृहकर, पंजी में इन्द्रांज है। उपुर्यक्त भवन का आवेदक एवं मुस. महारानी के मध्य आपसी सहमति के आधार पर वाहमी बंटवारा लगभग 40 वर्ष पूर्व हुआ था। तद्‌ानुसार भवन क्रमांक–35/1, मुस. महारानी को एवं 35/3 तथा भवन क्रमांक 35/1, 35/2 एवं 35/3, से सटी हुई खुली भूमि आवेदक को प्राप्त हुई थी। मुस0 महारानी एवं आवेदक का विवादित सम्पत्ति भवन क्रमांक–35/2 पर संयुक्त स्वत्व व आधिपत्य था एवं आवेदक उक्त भवन में संयुक्त रूप से विस्तार करता आ रहा था।

2. यह कि, मुस. महारानी के दिनांक 05/06/94 को स्वर्गवास उपरांत अनावेदिका के पुत्र विजय कुमार मिश्रा के माध्यम से दिनांक 19/03/99 को एक आवेदन पत्र नगर पालिका परिसर, पन्ना में इस आशय का

R. 1457. II/08 (धारा 7)

17.10.16. आवेदक की ओर से [illegible] — NIA [illegible]

श्री [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] के वारिस नं. 2 की ओर से

[illegible] [illegible] श्री [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] के वारिस नं. 2/3 [illegible]

[illegible] की [illegible] [illegible]

न्यायालय में प्रस्तुत किया।

आवेदक ने [illegible]

[illegible] निरीक्षण [illegible] [illegible]

प्रकरण [illegible] पत्रिका [illegible]

[illegible] [illegible] से [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

न्यायालय [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] से [illegible]

जाता। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] से [illegible] आवेदक [illegible]

[illegible] [illegible] प्रकरण प्रस्तुत [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

R-1602/II/08 [illegible] [illegible] [illegible]

paper form से प्रस्तुत [illegible]

[illegible] [illegible] आवेदक [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R.1457-II/08 जिला पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
[illegible]	किये जाते हैं। अतः प्रकरण अधीनस्थ [illegible] न्यायालय को वापिस किया जाता है। [signature] सदस्य	

[कृ. प. उ.